रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31102023-249820 CG-DL-E-31102023-249820

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 633]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 31, 2023/कार्तिक 9, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 2023/KARTIKA 9, 1945

No. 633]

# वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. 813(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय- कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सत्ताईसवां संशोधन) नियम, 2023 है।
  - (2) 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त समझे जाएंगे।
- 2. आय-कर नियम, 1962, के परिशिष्ट-2 के प्ररुप आईटीआर 7 के भाग (ख) में, 1 अप्रैल, 2023 से प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए—
- (क) भाग बी टीआई, भाग बी1, में क्रम संख्यांक 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखे जाएंगे, अर्थातः-

"16	धारा 115 खखझ के अधीन प्रभार्य विनिर्दिष्ट आय, 13 में संम्मिलित, @ 30% से कराधेय	16	
	की जानी है (अनुसूची 115 खखझ का क्रं.सं. 7)		
17	सामान्य दरों पर कराधेय की जाने वाली कुल आय (13-14-15-16) (धारा 115 खखझ के	17";	

6908 GI/2023 (1)

अधीन विनिर्दिष्ट आय से भिन्न आय सम्मिलित )	

(ख) भाग बी-टीटीआई में क्रम संख्यांक-1 के सामने उससे संबंधित मद क और प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातः-

"क	[भाग बी-टीआई के भाग बी1 का क्र.सं.17] या [भाग बी-टीआई के भाग बी2 का क्रं.सं.(13-	1क"	
	14)] या [भाग बी-टीआई के भाग बी3 का क्रं.सं.13] पर सामान्य दरों पर कर		

[अधिसुचना सं. 94 /2023/फा.सं.370142/2/2023-टीपीएल-भाग (1)]

सुरबेंदु ठाकुर, अवर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापनः- यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी है और पूर्व वर्ष 2022-2023 से सुसंगत निर्धारण वर्ष 2023-24 को लागू होता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकृल प्रभाव नहीं पडेगा।

टिप्पणः- मूल नियम अधिसूचना का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि 786 (अ) तारीख 19 अक्तूबर, 2023 को किया गया।

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2023

- **G.S.R. 813(E).**—In exercise of the powers by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Income-tax (Twenty-Seventh Amendment) Rules, 2023.
  - (2) They shall be deemed to have come into force from 1st day of April, 2023.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix II, in Form ITR-7, in PART-B for the assessment year commencing on the 1st day of April, 2023—
- (a) in Part B–TI, the Part B1, for serial number 16 and entries relating thereto, the following serial number and entries thereto shall be substituted, namely:—

"16	Specified income chargeable u/s 115BBI, included in 13, to be taxed @ 30% (Sl. No 7 of Schedule 115BBI)	16	
17	Aggregate income to be taxed at normal rates (13-14-15-16) (including income other than specified income under section 115BBI)	17";	

(b) in Part B-TTI, against serial number 1, for item a and entries relating thereto, the following item and entried thereto, shall be substituted, namely:—

"a	Tax at normal rates on [Sl. No. 17 of Part B1 of Part B-TI] OR [Sl.	1a".	
	No. (13-14) of Part B2 of Part B-TI] OR [Sl. No. 13 of Part B3 of		
	Part B-TI]		

[Notification No. 94/2023/ F.No. 370142/2/2023-TPL-Part (1)]

SURBENDU THAKUR, Under Secy.

**Explanatory Memorandum:** This amendment is effective from 1st day of April, 2023 and applies to assessment year 2023-24 relevant to the previous year 2022-23. It is hereby certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to these rules.

**Note:-** The principal rules were published vide notification S.O. 969(E), dated the 26<sup>th</sup> March, 1962 and last amended *vide* notification G.S.R.786(E), dated the 19<sup>th</sup> October, 2023.